राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2010 जयपुर, दिनांक : 07 JAN 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यकारी विभागों को श्रमिक उपलब्ध कराने के संबन्ध में।

सदर्भः– विभागीय पत्रांक दिनांक 07.08.2009, 24.08.2009 एवं 19.03.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों पर वांछित मात्रा में तथा नियमित रूप से श्रमिक उपलब्ध नही कराये जाने के कारण कार्यों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड रहा है एवं इससे कार्य पूर्ण नही हो पा रहे है।

विभाग द्वारा उक्त संदर्भानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों को वांछित मात्रा में एवं नियमित रूप से श्रमिक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए है। इस संबन्ध में यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों का नियोजन सर्वप्रथम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए उपलब्ध कराये जावें एवं इसके उपरान्त सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य कार्यकारी संस्थाओं को प्राथमिकता से श्रमिक उपलब्ध कराये जावें।

भवदीय

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. निजी सचिव, सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त द्वितीय, ईजीएस